EAST CENTRAL RAILWAY

पूर्व मध्य रेल

EAST CENTRAL RAILWAY

RBE No.25/2017

CPO's SL. No. 50/2017

No. E/10/O/ECR/HJP

Dated:-21.04.2017

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे. हाजीपूर।
3. DRM/ पूमरे / मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पू.म.रे / हाजीपूर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपूर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपूर / हरनौत।
8. Sr.DPO/ पूमरे / मुगलसराय, दानापूर, धनबाद, सोनपूर एवं समस्तीपूर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपूर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपूर।

विषयः– Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.63 (E) dated 20.01.2016, regardin Amendments in the Rule 14 of the Apprenticeship Rule, 1992.

संदर्भः– Rly. Board's Lt. no. E(MPP)/2017/6/1 Dated.22.03.2017

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदशन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित की जा रही है ।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(रवि कुमार पंडित)
सकाधि / ई.एस.एम एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपूर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतू प्रेषित :–

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे. / हाजीपूर।
2. महासचिव / एस0.सी0. / एस0.टी0. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपूर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.),पू.म.रे / हाजीपूर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
4. महासचिव / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपूर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर
रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 06
दिनांक 31-3-2017

36711
31/03/17

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

RBE No. 25 /2017

No. E(MPP)/2017/6/1 **New Delhi, Dated: 22.03.2017**

ECR **The General Managers (P)**
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Forwarding of Gazette Notification No.G.S.R.63 (E) dated 20.01.2016, regarding Amendments in the Rule 14 of the Apprenticeship Rule, 1992.

....

A copy of the Notification No.G.S.R.63(E) dated 20th January, 2017 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Extraordinary Gazette of India issued by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training regarding amendments in the Rule 14 of the Apprenticeship Rules, 1992 is hereby forwarded for information and compliance.

Please acknowledge receipt.

DA: As above

(Mahendra Kumar Gupta)
Director (MPP)
Railway Board

No. E(MPP)/2017/6/1 **Dated: 22.03.2017**

Copy forwarded for information:

Copy for Information to:

1 Shri Satish Kumar, ADT, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training, 2nd Floor, Shivaji Stadium Annex, Shaheed Bhagat Singh Marg, New Delhi – 110001.

(Mahendra Kumar Gupta)
Director (MPP)
Railway Board

Rulling

OS/Rulling
Pl. circulate
20/4

i, dated 22.0

res.
es.
5 spares.
5 spares.
uncil 13-C, Fer

Delhi with 5 s
s Employees

Room No.48,

Railway

AM(Elect), A
Rly Stores), AI
dv.Fin(Exp), A

D(Coaching),
DE(Res), EDF,
ED(MIS), ED
DME(Dev), ED
ED(safety), JS,
, EDRS(C), ED
C), EDT(P), ED
1), EDTT(S),

)II, F(E)Spl. Br

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 25 /2017

सं. ई(एमपीपी)2017/6/1 नई दिल्ली, दिनांक: 22.03.2017

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय:- अप्रैंटिससिप अधिनियम, 1992 के नियम 14 में संशोधन के बारे में दिनांक 20.01.2016 राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 63 (ई) को अग्रेषित करना।

....

अप्रैंटिससिप अधिनियम, 1992 के नियम 14 में संशोधन के बारे में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा जारी जारी भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 20 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.63 (ई) की प्रति सूचना और अनुपालन के लिए संलग्न है।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त

24/3/17
(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(एमपीपी)2017/6/1 नई दिल्ली, दिनांक: 22.03.2017

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:</u>

1. श्री सतीश कुमार, एडीटी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, दूसरी मंज़िल, शिवाजी स्टेडियम एनेक्स, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.

24/3/17
(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
निदेशक (एमपीपी)
रेलवे बोर्ड.

17

नार्थ

नार्थ

नार्थ

नार्थ

-सी,

ल्ली

रेलवे

पां)।

रेलवे

बोर्ड

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938
No. 56] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 63(अ).—केंद्रीय सरकार, शिशु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992, में--

(i) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् -

"14. अभिलेख और विवरणियां:- (1) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रूपविधान -I के अनुसार शिक्षु और नियोक्ता के बीच किया गया शिक्षुता का संविदा नियोक्ता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए पोर्टल-साइट पर अग्रेषित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यावसायिक शिक्षु तथा वैकल्पिक व्यवसाय शिक्षु द्वारा अनुसूची 3 यथाविनिर्दिष्ट रूपविधान 2 में कार्य डायरी अनुरक्षित की जाएगी और सप्ताह में एक बार उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी।

(3) प्रत्येक नियोक्ता अपने स्थापन में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यवसाय शिक्षुओं की उपस्थिति का एक रजिस्टर अनुरक्षित और अनियमित और अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए की गई कार्रवाई प्रत्येक मास के अंत में उक्त रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी।

(4) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक तिमाही के लिए अपने स्थापन में नियोजित स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य और दिए गए प्रशिक्षण का एक अभिलेख बनाकर रखेगा तथा प्रत्येक

तिमाही के अन्त में अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शिक्षुता प्रारुप में एक रिपोर्ट संबंधित निदेशक, प्रादेशिक शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड को भेजेगा।"

(ii) अनुसूची 3 में ___

(क) रूपविधान-1क रूपविधान-3, रूपविधान-3क, रूपविधान-4, शिक्षुता रूपविधान-1, शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम-1, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना-2 (आरडीएटी के लिए), शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम-3 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र), शिक्षुता रूपविधान -2 का लोप किया जाएगा;

(ख) "शिक्षुता प्ररूप-3" को शिक्षुता प्ररूप-1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

[सं. एमएसडीई-1(2)/2015-एपी]

आशीष शर्मा, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 198(अ) तारीख 26 फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2017

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: -

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Apprenticeship Rules, 1992, —

(i) for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:–

"14. Records and Returns, — (1) A contract of apprenticeship as entered between an apprentice and the employer as per Format-1 specified in Schedule III shall be forwarded on the portal-site by the employer for registration.

(2) Work dairy in Format – 2 as specified in Schedule III shall be maintained by each Trade apprentice and Optional trade apprentice and countersigned by his supervisor once in a week.

(3) Every employer shall maintain a register of attendance of the apprentices undergoing apprenticeship training in his establishment and action taken for irregular and unauthorised absence shall be recorded in the said register at the end of each month.

(4) Every employer shall maintain a record of the work done and training undertaken by the graduate technician and technician (vocational) apprentices engaged in his establishment, for each quarter and at the end of each quarter shall send a report in Form Apprenticeship specified in Schedule-III to the Director, Regional Board of Apprenticeship Training concerned."

(ii) in Schedule III, —

(a) Format-1A, Format-3, Format-3A, Format-4, Form Apprenticeship-1, Apprenticeship Training Scheme-1, Apprenticeship Training Scheme -2(For RDAT), Apprenticeship Training Scheme -3(State/Union Territory), Form Apprenticeship-2 shall be omitted;

(b) "Form Apprenticeship-3" shall be renumbered as "Form Apprenticeship-1.".

[No. MSDE-1(2)/2015-AP]

ASHEESH SHARMA, Director General/Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 198(E), dated the 26th February, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.01.25

7